DRC (LS)

पं0-08/-क0 11/दि0 09-04-18

6/4/18

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
संख्या– 179/XVIII(3)2018/1(2)2015,
देहरादून, दिनांक: 16 मार्च, 2018

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून

अधिसूचना

विविध

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड की भू–सर्वेक्षण तथा अभिलेख प्रक्रियाओं की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड भू–सर्वेक्षण तथा अभिलेख प्रकियाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली, 2017

भाग–1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली, उत्तराखण्ड भू–सर्वेक्षण तथा अभिलेख प्रकियाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली, 2017 कहलायेगी।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड भू–सर्वेक्षण तथा अभिलेख प्रक्रियाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा में समूह "ग" के पद समादिष्ट है।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सर्वे नायब तहसीलदार के पद हेतु आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् एवं अन्य पदों हेतु सम्बन्धित जिले के कलेक्टर से है;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाए;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य "उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग" से है;

(घ) "संविधान" से भारत का "संविधान" अभिप्रेत है;

श्री कोहली
तत्काल वांछित
विशेष–को
9/4/18

(ड़) "सरकार" का तात्पर्य उत्तराखण्ड की राज्य सरकार से है;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है;

(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा" से तात्पर्य भू–सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रकियाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा से है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग 2– संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा के सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

(2) सेवा में पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश से परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है।

परन्तु उपबन्ध यह है कि–

(i) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ii) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जैसे वे उचित समझें।

भाग–3 भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. भू–सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रियाओं के पदों पर भर्ती इस प्रकार की जायेगी:–

समूह "ग"

(1) सर्वे नायब तहसीलदार	(1) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से; (2) 25 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सर्वे कानूनगो/पेशी कानूनगो, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(2) सर्वे कानूनगो एवं पेशी कानूनगो	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशिक्षित सर्वे लेखपाल, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(3) सर्वे लेखपाल	(1) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से; (2) 25 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे चैनमैन में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड़ से हाई स्कूल या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(4) ड्राफ्ट्समैन	(1) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से;

	(2) 25 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अनुरेखक/ट्रेसर में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड से हाई स्कूल या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(5) अनुरेखक/ ट्रेसर	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से।
(6) पेशी मुहर्रिर	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से।
(7) वरिष्ठ सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पेशकार, अहलमद, रिकॉर्डकीपर, कैशियर एवं टाईपिस्ट में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्टता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(8) पेशकार, अहलमद, रिकॉर्डकीपर, कैशियर एवं कनिष्ठ सहायक (ठंकक)	(1) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से; (2) 25 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी (चैनमैन को छोड़कर) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(9) वाहन चालक	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य संस्था अथवा बाह्य स्त्रोतों से किया जायेगा।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4–अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका अथवा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही, नामंजूर किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया हो या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो।

शैक्षणिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:

(i) **सर्वे नायब तहसीलदार**	भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई अर्हता धारित की हो।

(2) सर्वे लेखपाल	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(3) ड्राफ्ट्समैन	आई0टी0आई0 डिप्लोमाधारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(4) अनुरेखक/ ट्रेसर	आई0टी0आई0 डिप्लोमाधारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(5) पेशी मुहर्रिर	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(6) पेशकार, अहलमद, रिकॉर्ड कीपर, कैशियर एवं कनिष्ठ सहायक (टंकक)	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। कनिष्ठ सहायक (टंकक) के पद हेतु अभ्यर्थी को कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 4000 KDPH न्यूनतम गति से प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण की होनी आवश्यक होगी।
(7) वाहन चालक	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और, यथा स्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस सम्बन्धित रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से 3 वर्ष से अन्यून अवधि का रहा हो।

अधिमानी अर्हता

9. अभ्यर्थी, जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

(3) **अनिवार्य / वांछनीय अर्हता–** अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए इस नियमावली के अधीन समस्त पदों (**सर्वे नायब तहसीलदार को छोड़ते हुये**) हेतु अभ्यर्थी ने उस वर्ष की पहली जुलाई को, जिस वर्ष रिक्तियां विज्ञापित की जाय, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 42 वर्ष से अधिक की आयु न हो।

सर्वे नायब तहसीलदार के पद हेतु अभ्यर्थी ने उस वर्ष की पहली जुलाई को, जिस वर्ष रिक्तियां विज्ञापित की जाय, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 42 वर्ष से अधिक की आयु न हो।

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र

11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II, भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

सीधी भर्ती के पदों पर उत्तराखण्ड़ राज्य के शारीरिक रुप से विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार एवं मानकानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

भाग 5–भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या और उपरोक्त नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड़ की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को अधिसूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सीधी भर्ती करने के लिये आवेदन पत्र का प्ररुप, आयोग द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) (एक) चयन के लिये 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(3) चयन समिति चयन हेतु उक्त उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी जो सम्बन्धित को अपेक्षित संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के नाम भेजेगा।

संयुक्त चयन सूची

17. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6 नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस कम में लेकर जिसमें वे नियम 15, 16 अथवा 17 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है, तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम–17 के अनुसार संयुक्त सूची तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्तियों का आदेश जारी किया जाता है, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम नियम–17 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर

सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे;

परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकारी नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने–

(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो;

(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित हो; तथा

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

भाग–7 वेतन आदि

वेतनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' के अनुसार होंगे।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

23. (1) वित्तीय नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारक रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत वित्तीय नियमों द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी संवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग 8—अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन

24. किसी पद या सेवा में लाग नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहें लिखित हों या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवको पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलीकरण

26. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तो के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो इस मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा सम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियासतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव।

परिशिष्ट–'क'

उत्तराखण्ड़ भू–सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रकियाओं में कार्यरत कर्मचारियों के पदों की जनपदवार संख्या नियम– 4 (1) व 4 (2).

क0 सं0	पदनाम	वेतनकम	इकाई उधमसिंहनगर	इकाई देहरादून	कुल स्वीकृत पद (स्तम्भ 4+5)
			स्वीकृत पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	
1	2	3	4	5	6
1.	सर्वे नायब तहसीलदार	9300–34800 ग्रेड पे 4200/–	05	05	10
2.	सर्वे कानूनगो	5200–20200 ग्रेड पे 2400/–	20	20	40
3.	पेशी कानूनगो	5200–20200 ग्रेड पे 2400/–	01	01	02
4.	वरिष्ठ सहायक	5200–20200 ग्रेड पे 2800/–	01	01	02
5.	पेशकार	5200–20200 ग्रेड पे 2000/–	01	01	02
6.	अहलमद	5200–20200 ग्रेड पे 2000/–	01	01	02
7.	रिकॉर्ड कीपर	5200–20200 ग्रेड पे 1900/–	01	01	02
8.	कैशियर	5200–20200 ग्रेड पे 2000/–	01	01	02
9.	कनिष्ठ सहायक (टंकक)/टाईपिस्ट	5200–20200 ग्रेड पे 1900/–	01	01	02
10.	ड्राफ्ट्समेन	5200–20200 ग्रेड पे 2000/–	02	02	04
11.	अनुरेखक/ट्रेसर	5200–20200 ग्रेड पे 1800/–	05	05	10
12.	सर्वे लेखपाल	5200–20200 ग्रेड पे 1900/–	40	40	80
13.	पेशी मुहर्रिर	5200–20200 ग्रेड पे 1800/–	01	01	02
14.	जीप चालक	5200–20200 ग्रेड पे 1800/–	01	01	02
	कुल योगः–		81	81	162

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव।